दैनिक भास्कर सिरोही-आबूरोड भास्कर 18-07-2026

1 मई 2017 के बाद की शहर की हर कॉलोनी का रेरा में पंजीकरण जरूरी

जिला परिषद सभागार में रेरा राजस्थान की कार्यशाला आयोजित

भास्कर न्यूज | सिरोही

जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को रेरा राजस्थान की कार्यशाला हुई। रेरा राजस्थान से जुड़ी बुनियादी जानकारी दी गई। जिले के सभी निकायों के अधिकारी पहुंचे। जनप्रतिनिधि भी आए। निजी डवलपर्स और कॉलोनाइजर्स भी शामिल हुए।

कार्यशाला की शुरुआत एडीएम डॉ. राजेश गोयल ने की। नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने एडीएम और रेरा अधिकारियों का किया। रेरा अधिकारियों ने रेरा राजस्थान के कामकाज की जानकारी साझा की। टीम ने बताया कि शहरी क्षेत्र की योजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का पंजीकरण भी अनिवार्य है। निजी आवासीय योजनाएं शामिल हैं। सरकारी आवासीय योजनाएं भी शामिल हैं। 1 मई 2017 के बाद की सभी कॉलोनियों का पंजीकरण जरूरी है। सभी डेवलपर्स और एजेंट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रेरा टीम ने बताया कि राजस्थान में रेरा रजिस्ट्रेशन में सिरोही जिला 13वें स्थान पर है। इसे अच्छी स्थिति माना गया। लक्ष्य शत-प्रतिशत पंजीकरण रखा गया। अधिकारियों ने कहा कि नए डवलपर्स स्थानीय निकाय की अनुमति के बिना कॉलोनी प्रस्तावित न करें। नए कॉलोनाइजर्स भी यही करें। स्थानीय निकाय विकसित कॉलोनियों का सर्वे कराएं। नियमन कराएं। रेरा में पंजीयन सुनिश्चित करें।

सिरोही. रेरा कार्यशाला में मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारी।

धोखाधड़ी की शिकायत की सीधी सुनवाई करता रेरा: रेरा रजिस्ट्रेशन को डवलपर्स, प्रमोटर्स, ग्राहकों के लिए हितकारी बताया गया। रेरा रजिस्टर्ड कॉलोनियों में धोखाधड़ी की आशंका कम रहती है। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन कॉलोनी विकसित करने पर दंड और सजा का प्रावधान है।

रेरा प्लॉट या फ्लैट खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत की सीधी सुनवाई करता है। ग्राहक को बिना वकील के न्याय दिलाने की व्यवस्था भी बताई गई। कार्यशाला में रेरा प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, तन्मय गोयल मौजूद रहे। मौके पर पूर्व सभापति ताराराम माली, अधिशाषी अधिकारी दीपिका वीरवाल, गोपाल माली, प्रवीण राठौड़, चिराग रावल भी शामिल हुए। सभी निकायों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।